तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमचन्द बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बापिणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 109/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमचन्द पुत्र चेतनराम मेघवाल सा. चाडी हाल वार्ड नं. 01, पुराना एसडीएम कोर्ट अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.04.19 में उसके द्वारा (1) नकल जमाबंदी चालू ग्राम चाडी तहसील बापिणी के खसरा नम्बर 1973 में 59.13 बीघा भूमि चेतनराम पुत्र खेताराम मेघवाल 1/4 हिस्सा भूमि 14.18 बीघा खाता नं0 नया 51 व पुराना 42 चेतनराम पुत्र खेतिया मेघवाल 1/4 हि0 व रूपा पि. बिजा, नारायणराम, माधूराम, रतनाराम, पूनाराम गोपालराम, रेवताराम, कालूराम पि0 लालूराम नेनी पत्नी लालूराम 3/4 हि0 कुम्हार चाडी , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बापिणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बापिणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बापिणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बापिणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	